



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

पट्टेदार (किरायेदार)

श्री अरविन्द समग्र शिक्षा समिति रतलाम द्वारा चैयरमेन

श्री मणिन्द तिवारी पिता श्री सुरन्द कुमार तिवारी

निवासी 122, स्टेशन रोड रतलाम म.प्र.

पट्टादाता (भवनस्वामी)

श्री अरविन्द सोसायटी ब्रांच रतलाम के द्वारा चैयरमेन

श्री लोकेन्द सिंह सिसोदिया पिता श्री दिलीप सिंह जी सिसोदिया

निवासी 87, राजीव नगर रतलाम म.प्र.

यह है कि मैं पक्ष क्रमांक 1 आप पक्ष क्रमांक 2 के हक में यह लीज एग्रीमेंट निष्पादित एवं संपादित कर देता हूँ जिसका विस्तृत वर्णन निम्नानुसार है ऐसा है कि -

1. यह है कि आप पक्ष क्रमांक 2 की स्वतंत्र मालकी व आधिपत्य की भूमि ग्राम बंजली तहसील व जिला रतलाम में सैलाना रोड पर स्थित सर्वे नम्बर 98/1 व 98/2 की स्थित है सबब उक्त सर्वे नम्बर 98/2 की भूमि में एक भवन, दो मंजिला व खुल्ला मकान हैं उक्त बने हुए भवन में कुल 14 कमरे, 4 शौचालय, 5 बाथरूम व 10 मुत्रालय हैं जो पक्के बने होकर जिनकी छत आर.सी.सी. की बनी हुई है जो पक्ष क्रमांक 2 पट्टादाता की मालकी का स्थित है

2. यह है कि उक्त भूमि सर्वे नम्बर 98/2 का रकबा 0.450 हेक्टर अर्थात् कुल एरिया 48375 वर्गफीट याने 4496 वर्गमीटर है, जिसमें तल मंजिल निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल 7206 वर्गफीट याने 669 वर्गमीटर होता है तथा प्रथम मंजिल निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल 2025 वर्गफीट याने 188.19 वर्गमीटर होता है शेष खुल्ला मैदान 39144 वर्गफीट याने 3638 वर्गमीटर है, जो पक्ष क्रमांक 2 को किराये पर दी गई है, सर्वे नम्बर 98/1 की भूमि का किराये पर नहीं लिया गया है, यह भूमि उक्त अवधि हेतु विद्यालय को उपयोग हेतु निशुल्क दी गई है

3. यह है कि उक्त भवन व खुल्ला मैदान पक्ष क्रमांक 1 ने आप पक्ष क्रमांक 2 से 4 वर्ष 11 माह के लिये किराये पर लिया है जिसकी किरायेदारी दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.08.2024 तक की रही तथा उक्त अवधि पूर्ण होते उक्त सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य मैं पक्ष नंबर 1 आप पक्ष नंबर 2 को सौंप दूंगा

4. यह है कि उक्त भवन का किराया पक्ष क्रमांक 1 व पक्ष क्रमांक 2 के मध्य रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रति माह तय हुआ है जो पक्ष क्रमांक 1 पक्ष क्रमांक 2 को प्रतिमाह की एक तारीख को अग्रिम किराया जमा करायेंगा तथा रसीद प्राप्त करेगा पक्ष क्रमांक 2 का भी किराया लेकर रसीद अनिवार्य रूप से पक्ष क्रमांक 1 को देना होगी बिना रसीद लिये किराया मुजरा पाने का हक नहीं होगा

